न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 23 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चुतराराम पुत्र पोकरराम उम्र 62 वर्ष
2. पदमाराम पुत्र पोकरराम उम्र 55 वर्ष
3. हंसाराम पुत्र पोकरराम उम्र 45 वर्ष
4. मेवाराम पुत्र पोकरराम उम्र 40 वर्ष
5. मेगाराम पुत्र पोकरराम उम्र 35 वर्ष

जातियान माली निवासीयान माडपुरा सानी, तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.उम्मेदाराम पुत्र सगराम उम्र 65 वर्ष जाति माली, निवासी माडपुरा तहसील व जिला बाड़मेर।

2.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर परफोरमा पक्षकार

3.राणाराम पुत्र पोकरराम उम्र 65 वर्ष

4.गोरधनराम पुत्र पोकरराम उम्र 63 वर्ष

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व इजराय संख्या 01/2016 बअनवान उम्मेदाराम बनाम सरकार में पारित इजराय आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अम्बालाल जोशी, श्री देवीलाल कुमावत, कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 15.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा माडपुरा सानी, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 275 रकबा 0.05 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 276 रकबा 35.10 बीघा किस्म बारानी दोयम सहित मौजा हरूपाणियों की ढाणी, पटवार हल्का कवास के खेत खसरा संख्या 41 रकबा 68.08 बीघा आई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व वाद संख्या 56/1996 में पारित डिक्री दिनांक 12.08.1998 की पालना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किया जो तथ्यों, मौके व विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध है। जो भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 136 में वर्णित प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 136 के तहत किसी व्यवहार न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिये आवेदन डिक्री पारित होने की तारिख से 12 वर्ष की अवधि तक ही पेश किया जा सकता है। धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद को निर्णित करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिकार उपखण्ड अधिकारी को न होकर श्रीमान सहायक कलेक्टर में निहित है इसलिये उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा प्रारंभ से ही क्षेत्राधिकार से बाहर होने से प्रभावहीन था। विवादित आराजी के संबंध में राजस्व वाद संख्या 56/1996 में जो विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ है वह पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। अपीलांटगण का अपीलाधीन आराजी पर कई सालों से कब्जा एवं रहवास है जो डिक्री दिनांक 12.08.1998 के द्वारा अपीलांटगण की ढाणीयों उतरदाता उम्मेदाराम के हिस्से में चली जाती है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प 2016 में एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे के विपरीत आधार पर दिनांक 25.07.1996 को डिक्री पारित की गई। ईजराय पत्रावली में अपीलांटगण को पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलांट के हित सीधे–सीधे प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व वाद संख्या 56/1996 में पारित डिक्री दिनांक 12.08.1998 की पालना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किया जो तथ्यों, मौके व विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध है। जो भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 136 में वर्णित प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 136 के तहत किसी व्यवहार न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिये आवेदन डिक्री पारित होने की तारिख से 12 वर्ष की अवधि तक ही पेश किया जा सकता है। धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद को निर्णित करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को न होकर श्रीमान सहायक कलेक्टर में निहित है इसलिये उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा प्रारंभ से ही क्षेत्राधिकार से बाहर होने से प्रभावहीन था। विवादित आराजी के संबंध में राजस्व वाद संख्या 56/1996 में जो विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ है वह पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। अपीलांटगण का अपीलाधीन आराजी पर कई सालों से कब्जा एवं रहवास है जो डिक्री दिनांक 12.08.1998 के द्वारा अपीलांटगण की ढाणीयों उतरदाता उम्मेदाराम के हिस्से में चली जाती है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में सुदीर्घ अवधि व्यतीत होने के बाद पालना करवाना संदेहास्पद

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है। ईजराय की पत्रावली में धारा 05 मियाद अधीनयम का आवेदन नहीं है। रेस्पोडेंट को डिक्री का प्रभाव समाप्त होने पर नया दावा लाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में ईजराय पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध अपील पेश की गई है जबकि मूल डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। रेस्पोडेंट उम्मेदाराम ने मेवाराम को Adverse Possession में बेचान किया है। रेस्पोडेंट द्वारा वर्ष 2016 ईजराय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 12.08.1998 की पालना हेतु पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

CJ(Civ.)(SC) 2017 Page 713

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है जिसमें अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अर्सा एक माह पूर्व जब अपीलकर्ता के कब्जे काश्त में उतरदाता संख्या 01 ने हस्तक्षेप कर अपीलांट का कब्जा हटाने एवं रास्ता बंद करने का प्रयास करते हुऐ कहा कि हमने बंटवारा करवा दिया है तब अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलौच्य आदेष एवं पूर्व पारित निर्णय की नकल लेने हेतु दिनांक 27.02.2017 को आवेदन पेश किया जिस पर अपीलांट को जिला अभिलेखागार से दिनांक 09.03.2017 को आलोच्य आदेश एवं पूर्व पारित निर्णय व डिक्री पर्चा की नकल प्राप्त हुई तब जानकारी से एक माह के भीतर अपील पेश की गई है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इजराय पत्रावली संख्या 01/2016 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जबकि ईजराय प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व वाद संख्या 56/1996 में पारित डिक्री दिनांक 12.08.1998 की पालना हेतु रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया गया है। अपीलांटगण द्वारा मूल डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 12.08.1998 प्रभाव में है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 12.08.1998 से अपीलांट के हित किसी प्रकार से प्रभावित होते है तो इस निर्णय के संबंध में आवश्यक समझी जाने पर सक्षम स्तर पर चाराजोही की स्वंतत्रता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व इजराय संख्या 01/2016 बअनवान उम्मेदाराम बनाम सरकार में पारित इजराय आदेश दिनांक 22.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

15/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner